

**फर्द अहकाम**

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

श्रीमानलाल बनाम राजींद्र प्रसाद चौमूं

मुकदमा नम्बर :- 03/2022 T.I.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/4/25	<p>व.क्र.उप.। अपार्थि सं. 2 के मूल खिले पर जोत खेत का नोट अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त हुआ। क.मु. प्रा.पत्र पेश कर अपार्थि सं. 5 व 6 के विकट मूल वाड के अनाधिक्य नगरेवाधि काल से लायी जा चुकी है अतः इस प्रकरण के लिये इनके विकट अनाधिक्य नगरेवाधि का जवाब दे पत्रावली दिनांक 09/5/25 के पेश है।</p>	
	09/5/25	<p>व.क्र.उप.। अपार्थि सं. 2 का क.मु. प्रा.पत्र पेश करने वाले अतिरिक्त अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12/6/25 के पेश है।</p>	
	12/6/25	<p>व.क्र.उप.। अपार्थि सं. 2 का क.मु. प्रा.पत्र पेश करने वाले अतिरिक्त अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 09/7/25 के पेश है।</p>	
	09/7/25	<p>व.क्र.उप.। मूल वाड के अपार्थि सं. 2 का नाम हुआ क.मु. प्रा.पत्र खीकर दिया जा चुका है अतः इस प्रा.पत्र T.I. सं. 2 अपार्थि सं. 2 का नाम हुआ दिया जाता है अतः T.I. सं. 2 अपार्थि अपाधिक्य के T.I. प्रा.पत्र का जवाब न देकर सीधे बंधन हेतु निवेदन दिया। बंधन T.I. सुनी गयी। प्रा.पत्र का अपलोड किया गया। प्रकरण में पूर्ण है अतः अतिरिक्त अपार्थि निषेधाज्ञा जारी की गई है अतः अतिरिक्त दिनांक 12/11/25 के आ. नं. 154 का मूल वाड अनाधिक्य किया जाना सुनिश्चित कर दिया है अतः अतिरिक्त आदेश के आ. नं. 154 का मूल वाड अनाधिक्य किया जाता है। पत्रावली दिनांक 09/7/25 के पेश है तथा इस वाड के पत्रावली है।</p>	<p align="right">सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>